रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042020-219205
CG-DL-E-28042020-219205

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2020/वैशाख 8, 1942
No. 206] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2020/VAISAKHA 8, 1942

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 265(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1961 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 2020 है।

2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "**संवर्ग पद**" से अभिप्रेत सेवा संवर्ग में शामिल किसी पद से है और इसमें एक अस्थायी पद शामिल है जो संवर्ग में अस्थायी अनुवृद्धि करता है;

(ख) "**आयोग**" से अभिप्रेत संघ लोक सेवा आयोग से है;

(ग) "**नियंत्रक प्राधिकरण**" से अभिप्रेत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से है;

(घ) "**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**" का अर्थ वही होगा जो संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (6) में इसके लिए निर्दिष्ट किया गया है;

(ङ) "**सरकार**" का अर्थ है भारत सरकार;

(च) "**अन्य पिछड़ा वर्ग**" का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 सितंबर, 1993 के का.ज्ञा. सं. 36012 /22/93-स्था. (एससीटी) में निर्दिष्ट किया गया है।

(छ) "**दिव्यांगजन**" का अर्थ वही होगा जो दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (खंडों) में निर्दिष्ट किया गया है;

(ज) "**अनुसूची**" से अभिप्रेत इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची से है;

(झ) "**अनुसूचित जाति**" और "**अनुसूचित जनजाति**" का अर्थ वही होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और (25) में उनके लिए विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) "**सेवा**" से अभिप्रेत भारतीय विदेश सेवा है;

3. **विदेश सेवा बोर्ड** -(1) एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसे विदेश सेवा बोर्ड कहा जाएगा।

(2) विदेश सेवा बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) अध्यक्ष के रूप में विदेश सचिव के साथ विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के सभी सचिव;

(ii) वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव; तथा

(iii) विदेश मंत्रालय में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव बोर्ड के सचिव होंगे।

(3) बोर्ड के कोई भी तीन सदस्य कोरम पूर्ण करेंगे।

4. विदेश सेवा बोर्ड के कार्य –- विदेश सेवा बोर्ड का कार्य निम्नलिखित मामलों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना होगा, अर्थात्: -

(i) मिशन प्रमुखों को छोड़कर सभी पदों पर तैनाती और स्थानांतरण।

(ii) विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों में तैनात किए गए अधिकारियों को राजनयिक दर्जा प्रदान करना।

5. सेवा का संघटन - (1) सेवा के लिए एक संवर्ग का संघटन किया जाएगा।

(2) संवर्ग में पदों की संख्या और इसकी संरचना केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

(3) इस सेवा के ग्रेड और इसमें पदों की प्राधिकृत संख्या इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची I में दिए अनुसार रखे जाएंगे;

(4) किसी ग्रेड में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस ग्रेड के लिए अस्थायी या स्थायी परिवर्धन कर सकता है, यदि समय-समय पर ऐसा करना आवश्यक हो जिसके लिए सामान्य या विशेष आदेश जारी किए जाएंगे।

6. संवर्ग पदों पर नियुक्तियां:- (1) इस सेवा में संवर्ग पदों के लिए सभी नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा इन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(2) ऐसे देशों में जहां मिशन प्रमुख मौजूद नहीं हैं, वहां मिशन और केंद्र के प्रमुख के पदों को केंद्र सरकार द्वारा अपने विवेकाधिकार से इस सेवा के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

7. पदों को समाप्त करने या स्थगित रखने की शक्ति:- (1) केंद्र सरकार किन्हीं भी स्थायी या अस्थायी संवर्ग पदों को समाप्त कर सकती है या स्थगित रख सकती है।

(2) किसी ग्रेड में किसी संवर्ग पद को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, यदि इस तरह के पद की आवश्यकता हो, तो किसी समय के लिए, संवर्ग बाह्य पद घोषित किया जा सकता है, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष योग्यता या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति द्वारा भरे जाने पर और तथा ऐसी घोषणा किए जाने पर यह पद उक्त घोषणा लागू रहने तक संवर्ग से बाहर रहेगा।

8. सेवा में नियुक्ति:- इस सेवा में सभी प्रारंभिक नियुक्तियां निम्नलिखित रीति से की जाएगी:-

(1) केंद्र सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से समय-समय पर बनाए गए ऐसे विनियमनों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की गई खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर कनिष्ठ स्तर पर संवर्ग पद पर सीधी भर्ती द्वारा।

(2) भारतीय विदेश सेवा, शाखा ख के ग्रेड I के ऐसे अधिकारियों, जिन्होंने उस ग्रेड में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और आयोग द्वारा विनिर्दिष्टानुसार इस सेवा के लिए सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करते हो, में से वरिष्ठ स्तर पर संवर्ग पद के लिए चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

बशर्ते कि इस सेवा में भारतीय विदेश सेवा, शाखा ख के ग्रेड-1 से पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों की कुल संख्या किसी भी समय इस संवर्ग में वरिष्ठ स्तर और उससे उच्च स्तर के पदों से 22.5 प्रतिशत से अधिक न हो लेकिन इसमें मिशन और केंद्र प्रमुखों के आधे पद शामिल नहीं होंगे।

(3) नियम 8 के उपनियम (2) के अनुसार सेवा के वरिष्ठ स्तर पर नियुक्तियां करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना इन नियमावली की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

9. पदोन्नतियां:- (1) सेवा के विभिन्न ग्रेडों में अधिकारियों की पदोन्नति इन नियमावली की अनुसूची II के अनुसार गठित की गई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सेवा में स्थायी सदस्यों और अगले न्यूनतर ग्रेड में पद धारण करने वाले और इन नियमावली की अनुसूची III में निर्धारित की गई ऐसी रीति और इसकी पात्रता शर्तें, अतिरिक्त मापदंड और बैंचमार्क को पूरा करने वाले सदस्यों में से की जाएगी।

(2) अधिकारियों को सेवा के ग्रेड I, ग्रेड II और ग्रेड III के लिए पदोन्नति के लिए बैच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी स्तर पर बैच-वार माना जाएगा। पदोन्नति के लिए सूचीबद्ध अधिकारियों को रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन संबंधित वर्ष के दौरान किसी भी समय पदोन्नत किया जा सकता है।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारियों का मत है कि ऐसा करना अनिवार्य या अपरिहार्य है तो या लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से सेवा के ग्रेड I, ग्रेड II और ग्रेड III में पदोन्नति के लिए भारत और विदेश में अतिरिक्त मापदंड और इन नियमों की अनुसूची III में यथा निर्धारित पदोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण तथा समय-समय पर यथा संशोधित सूचीबद्ध दिशा-निर्देशों में छूट दे सकता है।

10. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति:- (1) सरकार किसी भी समय सेवा के किसी सदस्य को सेवा में और अन्य किसी अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा समूह क, या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन या विदेशी नियोक्ता की सेवा में उसके द्वारा धारित समकक्ष या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्त कर सकती है। ऐसी रीति से नियुक्त सेवा का सदस्य प्रतिनियुक्ति आरक्षी पद पर धारित होगा।

बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रथमत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी यद्यपि केंद्र सरकार उक्त को और अधिक बढ़ा सकती है बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि ऐसी प्रतिनियुक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों से अधिक नहीं होगी।

(2) सरकार, यदि संतुष्ट है कि सेवा का कोई भी उपयुक्त सदस्य किसी संवर्ग विशेष का पद भरने के लिए उपलब्ध नहीं है तो यह केंद्र सरकार की सेवा या अखिल भारतीय सेवा में समकक्ष पद धारण करने वाले तथा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वांछनीय अर्हता या अनुभव रखने वाले अधिकारी को तीन वर्ष तक के लिए उस पर नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार से नियुक्त व्यक्ति संवर्ग पद के स्थगन में रखे गए पद के विरुद्ध तैनात होगा जैसा कि नियमन 7 में प्रदत्त है:

बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार तब भी संतुष्ट हो कि सेवा का कोई उपयुक्त सदस्य उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उपलब्ध नहीं है तो केंद्र सरकार नियुक्ति की कुल अवधि को 7 वर्ष तक रखते हुए उसकी नियुक्ति अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।

11. वरिष्ठता:- (1) इन नियमों के लागू होने पर किसी भी ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता उनके संबंधित ग्रेडों में परस्पर वरिष्ठता होगी जैसा कि इन नियमों के लागू होने से पूर्व निर्धारित की गई है:

बशर्ते कि यदि सेवा के किसी सदस्य की वरिष्ठता इन नियमों के लागू होने से पूर्व निर्धारित नहीं की गई है तो उक्त का निर्धारण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सामान्य आदेशों के अनुसार या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठता पर समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगा।

(2) आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम पर सेवा में भर्ती किसी अधिकारी का आबंटन वर्ष, उक्त परीक्षा आयोजित होने का अनुवर्ती वर्ष होगा।

(3) नियम 8 के उप नियम (1) के अनुरूप सेवा में भर्ती किए गए अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा और फाउण्डेशन पाठ्यक्रम में कार्य-निष्पादन के आधार पर और सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित अन्य अनिवार्य परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के आधार पर मंत्रालय द्वारा संकलित मेरिट सूची के अनुसार होगी।

(4) नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार सेवा में पदोन्नत किए गए अधिकारियों को इस प्रकार वर्ष आवंटित किया जाएगा:-

(i) उस वर्ष से पहले तीन वर्षों के अनुरूप जिसमें कोई अधिकारी भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ पद पर एक मूल पद के विरुद्ध नियुक्त हुआ हो;

(ii) भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड I, शाखा ख में निरंतर तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के लिए एक वर्ष का वेटेज दिया जाएगा। इस उप-नियम के तहत वेटेज की गणना के लिए, अपूर्णांक यदि कोई हो तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा:

बशर्ते कि आवंटित किया गया वर्ष सेवा के वरिष्ठ पद पर वास्तविक पदोन्नति के पूर्ववर्ती वर्ष से आठ वर्ष की अवधि से पहले का नहीं होगा:

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड I, शाखा ख से पदोन्नत अधिकारी को उस चयन सूची में उसके वरिष्ठ अधिकारी को आवंटित किए गए वर्ष या पिछली चयन सूची के आधार पर सेवा में नियुक्ति वर्ष से पहले का वर्ष आवंटित नहीं किया जाएगा।

(5) नियम 8 के उप-नियम (1) के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सेवा में नियुक्त सीधी भर्ती किए गए उम्मीदवारों और उप-नियम (2) और नियम 8 के अनुसार वरिष्ठ पदों में पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता के बीच, इस प्रयोजन के, उनकी वरिष्ठता उन्हें आवंटित किए गए वर्ष पर निर्भर करेगी और जहां आवंटन का वर्ष समान होगा, वहां सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार वरिष्ठ होंगे।

12. परिवीक्षा और स्थायीकरण- (1) नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत कनिष्ठ स्तर में सीधी भर्ती द्वारा या नियम 8 के उप-नियम (2) के तहत वरिष्ठ स्तर में पदोन्नति द्वारा, सेवा में नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

बशर्ते कि नियंत्रक प्राधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसरण में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसमें किए गए किसी भी प्रकार के विस्तार के पूरा होने पर, अधिकारियों को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उन्हें नियमित आधार पर उनकी नियुक्तियों में बरकरार रखा जा सकता है और उपलब्ध मूल रिक्तियों के विरूद्ध नियत समय में स्थायी किया जा सकती है, जैसा भी मामला हो।

(3) यदि, परिवीक्षा की अवधि या उसके विस्तार के दौरान, जैसा भी मामला हो, सरकार की यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सरकार उस अधिकारी को सेवा से हटा सकती है या सेवा में उनकी नियुक्ति से पहले उसके द्वारा धारण किए गए पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है, जैसा भी मामला हो।

(4) परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके किसी भी प्रकार के विस्तार के दौरान, उम्मीदवारों को परिवीक्षा को संतोषजनक रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में, सरकार द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा और सरकार द्वारा उचित समझी जाने वाली ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे। सेवा में नियुक्त कोई भी अधिकारी तब तक सेवा में स्थायीकरण के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह केंद्र सरकार की तुष्टि तक, आवंटित की गई अनिवार्य विदेशी भाषा में निर्धारित परीक्षा या परीक्षण उत्तीर्ण न कर ले:

बशर्ते कि जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सेवा में कार्यरत सदस्य इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

13. अयोग्यता– (1) कोई भी व्यक्ति तब तक सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा; या

बशर्ते कि यदि केंद्रीय सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के मामले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमत्य है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

14. नियम शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

15. व्याख्या:- यदि इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई मामला उठता है, तो यह सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

16. व्यावृत्ति-इन नियमों में उल्लिखित कोई बात, आरक्षण, आयु सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची I

[नियम 5 का उप-नियम (3)]

(वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड, लेवल तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या)

क्रम सं	सेवा का ग्रेड / वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	संख्या *
1.	ग्रेड I	लेवल 17 (रुपये 225000)	33
2.	ग्रेड II	लेवल 15 (रुपये 182200-224100)	46
3.	ग्रेड III	लेवल 14 (रुपये 144200-218200)	176
4.	ग्रेड IV	लेवल 13 (रुपये 123100-215900)	210
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	लेवल 12 (रुपये 78800-209200)	375
6.	वरिष्ठ वेतनमान	लेवल 11 (रुपये 67700- 208700)	
7.	कनिष्ठ वेतनमान	लेवल 10 (रुपये 56100-177500)	35
8.	प्रतिनियुक्ति रिजर्व		19
9.	अवकाश रिजर्व		15
10.	प्रशिक्षण रिजर्व		7
11.	परिवीक्षाधीन रिजर्व		62
12.	कुल		978

*** कार्यभार को देखते हुए परिवर्तन किया जा सकता है।**

अनुसूची II

[नियम 9 का उप-नियम (1) देखें]

भारतीय विदेश सेवा के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति और स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति तथा विभागीय स्थायीकरण समिति का संघटन

क्रम सं.	पद/पे-मैट्रिक्स में लेवल	विभागीय पदोन्नति समिति का संघटन	विभागीय स्थायीकरण समिति का संघटन
1.	**ग्रेड I** **पे-मैट्रिक्स में लेवल 17** **(रु. 225000)**	विदेश सचिव: अध्यक्ष विदेश मंत्रालय में सभी सचिव : सदस्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव: सदस्य	लागू नहीं
2.	**ग्रेड II** **पे-मैट्रिक्स में लेवल 15** **(रु. 182200-224100)**	विदेश सचिव: अध्यक्ष विदेश मंत्रालय में सभी सचिव : सदस्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव: सदस्य	लागू नहीं
3.	**ग्रेड III** **पे-मैट्रिक्स में लेवल 14** **(रु. 144200-218200)**	विदेश सचिव: अध्यक्ष विदेश मंत्रालय में सभी सचिव : सदस्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव: सदस्य	लागू नहीं
4.	**ग्रेड IV** **पे-मैट्रिक्स में लेवल 13** **(रु. 123100-215900)**	विदेश सचिव: अध्यक्ष विदेश मंत्रालय में सभी सचिव: सदस्य	लागू नहीं
5.	**कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड** **पे-मैट्रिक्स में लेवल 12** **(रु. 78800-209200)**	विदेश सचिव: अध्यक्ष विदेश मंत्रालय में सभी सचिव: सदस्य	लागू नहीं
6.	**वरिष्ठ वेतनमान** **पे-मेट्रिक्स में लेवल 11** **(रु. 67700-208700)**	(1) नियम 8 के उप नियम (1) के अनुसार सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारियों की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए, विभागीय पदोन्नति समिति का संघटन निम्नवत होगा: विदेश सचिव: अध्यक्ष विदेश मंत्रालय में सभी सचिव: सदस्य (2) नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-1, शाखा ख से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान पर अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति का समिति का संघटन निम्नवत होगा: विदेश सचिव या उनके द्वारा नामित कोई सचिव : अध्यक्ष अपर सचिव (प्रशासन): सदस्य संयुक्त सचिव (प्रशासन):सदस्य	नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्त किए गए अधिकारियों के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति निम्नवत होगीः विदेश सचिव: अध्यक्ष विदेश मंत्रालय के सभी सचिव: सदस्य
7.	**कनिष्ठ वेतनमान** **पे-मैट्रिक्स में लेवल 10** **(रु. 56100-177500)**	लागू नहीं	नियम 8 के उप-नियम (1) के अनुसार सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति निम्नवत होगीः विदेश सचिव: अध्यक्ष विदेश मंत्रालय के सभी सचिव: सदस्य

अनुसूची III

[नियम 9 के उप-नियम (1) और (3) देखें]

(भारतीय विदेश सेवा के विभिन्न ग्रेडों में भर्ती की पद्धति, पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा और पात्रता संबंधी अन्य मानदंड)

क्र.सं.	पद का नाम तथा वेतन मान	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तें	पदोन्नति के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं और मानक
1.	**ग्रेड-I पे मैट्रिक्स में लेवल 17 (225000 रुपए)**	चयन द्वारा पदोन्नति	अधिकारी ग्रेड II में न्यूनतम दो वर्षों की नियमित सेवा के अध्यधीन भारतीय विदेश सेवा में अर्हक सेवा के 30 वर्ष पूरे होने पर पात्र होंगे, जो न होने पर, ग्रेड II में कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा के साथ ग्रेड II और ग्रेड III में संयुक्त नियमित सेवा के नौ वर्ष और भारतीय विदेश सेवा में अर्हक सेवा के कुल 30 वर्ष।	1. विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित भारत और विदेशों में सेवा। 2. पदोन्नति के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट मानक मंत्रालय द्वारा जारी एवं समय-समय पर यथा संशोधित सूचीबद्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।
2.	**ग्रेड-II पे मैट्रिक्स में लेवल 15 (182200-224100 रु.)**	चयन द्वारा पदोन्नति	अधिकार ग्रेड III में न्यूनतम दो वर्षों की नियमित सेवा के अध्यधीन भारतीय विदेश सेवा में अर्हक सेवा के पच्चीस वर्ष पूरे होने पर पात्र होंगे।	1. विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित भारत और विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में सेवा। 2. विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन। 3. पदोन्नति के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट मानक मंत्रालय द्वारा जारी एवं समय-समय पर यथा संशोधित सूचीबद्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।
3.	**ग्रेड III पे मैट्रिक्स में लेवल 14 (144200-218200 रु.)**	चयन द्वारा पदोन्नति	अधिकारी ग्रेड IV में न्यूनतम दो वर्षों की नियमित सेवा के अध्यधीन भारतीय विदेश सेवा में अर्हक सेवा के सत्रह वर्ष पूरे होने पर पात्र होंगे।	1. विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित भारत और विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में सेवा। 2. विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन। 3. पदोन्नति के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट मानक मंत्रालय द्वारा जारी एवं समय-समय पर यथा संशोधित सूचीबद्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

4.	**ग्रेड IV पे मैट्रिक्स में लेवल 13 (123100-215900 रु.)**	चयन द्वारा पदोन्नति	अधिकारी भारतीय विदेश सेवा में अर्हक सेवा के तेरह वर्ष पूरे होने पर पात्र होंगे बशर्ते ऐसी नियुक्ति उस वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन से पूर्व न की गई हो जिसमें सेवा के सदस्य ने भारतीय विदेश सेवा में अर्हक सेवा के तेरह वर्ष पूरे किए हैं।	(1) विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन।
5.	**कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पे मैट्रिक्स में लेवल 12 (78800-209200 रु.)**	गैर-चयन आधार पर ग्रेड में स्थानन द्वारा नियुक्ति	अधिकारी भारतीय विदेश सेवा में अर्हक सेवा के नौ वर्षों के पूरा होने पर पात्र होंगे। यह ग्रेड गैर-कार्यात्मक है और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी से सभी अधिकारियों के लिए स्वीकार्य होगा बशर्ते सभी अधिकारियों को सेवा में स्थायी किया गया हो।	लागू नहीं।
6.	**वरिष्ठ वेतनमान पे-मैट्रिक्स में लेवल 11 (67700-208700 रुपये)**	**(1) नियम 8 के उप-नियम (1) के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले सीधी भर्ती के उम्मीदवारों हेतु : चयन द्वारा पदोन्नति (2) नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले प्रोन्नति पाने वाले उम्मीदवारों के लिए : चयन द्वारा प्रोन्नति**	(1) नियम 8 के उप-नियम (1) के आधार पर सेवा में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी भारतीय विदेश सेवा चार वर्ष की अर्हक सेवा के पूरे होने पर पात्र होंगे । बशर्ते कि अधिकारी सेवा में स्थायिकरण के आधार पर पात्र होंगे और ऐसी नियुक्तियां उस वर्ष की पहली जनवरी से पहले नहीं की जाएंगी जिसमें विदेश सेवा का सदस्य भारतीय विदेश सेवा में चार वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करता हो। (2) भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड I, शाखा ख की वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति, भारतीय विदेश सेवा के नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार की जाएगी	नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले प्रोन्नति पाने वाले उम्मीदवारों के लिएः प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में मानदंड पिछले पांच वर्षों में वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'बहुत अच्छा' होगा।
7.	**कनिष्ठ समय वेतनमान पे-मैट्रिक्स में लेवल 10 (56100-177500 रुपये)**	सीधी भर्ती	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी 1 : (1) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगी परिक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारियों के लिए पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा परीक्षा के वर्ष के बाद की पहली जनवरी से आरंभ होगी जिसके आधार पर एक अधिकारी को भारतीय विदेश सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है।

(2) नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 1, शाखा ख से पदोन्नति के आधार पर भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारियों के लिए अर्हकारी सेवा नियम 11 के उप-नियम (4) के आधार पर नियत किए गए आबंटन वर्ष की पहली जनवरी से आरंभ होगी:

बशर्ते कि इन नियमों के लागू होने की तारीख तक भारतीय विदेश सेवा में पहले से नियुक्त किए गए अधिकारियों के लिए, प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 1 शाखा 'ख' और भारतीय विदेश सेवा के पदों में निरंतर सेवा शामिल होगी, जो आबंटन वर्ष की पहली जनवरी से शुरू होगी तथा इसमें भारतीय विदेश सेवा ग्रेड 1, शाखा ख से नीचे के पदों में सेवा की अवधि शामिल नहीं की जाएगी।

टिप्पणी 2: जिन मामलों में कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों की प्रोन्नति के मामलों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हकारी या पात्रता सेवा की अवधि ऐसी अपेक्षित अर्हकारी या पात्रता सेवा की आधी अवधि या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होने अपने उन कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली दो, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्र सेवा पूरी कर ली है।

[फा. सं. क्यू/पीए-II/791/1/2018]

जी. बालासुब्रमणियन, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2020

G.S.R. 265(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "**Cadre Post"** means a post included in the cadre of the Service and includes a temporary post which forms a temporary addition to the cadre;

(b) "**Commission**" means the Union Public Service Commission;

(c) "**Controlling Authority"** means the Government of India in the Ministry of External Affairs;

(d) **"economically weaker section"** shall have the same meaning assigned to it in clause (6) of article 15 of the Constitution;

(e) **"Government"** means the Government of India;

(f) **"Other Backward Classes"** shall have the same meaning as provided in Department of Personnel and Training OM No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8th September, 1993 as amended from time to time;

(g) **"person with disability"** shall have the same meaning as assigned to it in clause (s) of Section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (No.49 of 2016);

(h) "**Schedule**" means schedule appended to these rules;

(i) **"Scheduled Castes"** and **"Scheduled Tribes"** shall have the same meaning as assigned to them respectively in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;

(j) "**Service**" means the Indian Foreign Service;

3. **Foreign Service Board.—**(1) There shall be constituted a Board to be called as the Foreign Service Board.

(2) The Foreign Service Board shall consist of:

(i) All Secretaries to the Government of India in the Ministry of External Affairs with Foreign Secretary as Chairman;

(ii) The Secretary to the Government of India in the Ministry of Commerce; and

(iii) The Joint Secretary in charge of Administration in the Ministry of External Affairs shall be Secretary to the Board.

(3) Any three members of the Board shall constitute the quorum.

4. Functions of the Foreign Service Board.—The functions of the Foreign Service Board shall be to advise the Central Government on the following matters, namely:-

(i) Postings and transfers, other than those of Heads of Missions.

(ii) Grant of Diplomatic status to officers posted in Indian Missions and Posts abroad.

5. Constitution of the Service.—(1) There shall be constituted a cadre for the service.

(2) The strength and composition of the cadre shall be determined by the Central Government from time to time.

(3) The grades and authorised strength of the Service shall be as laid down in Schedule I to these rules;

(4) The authority competent to make an appointment to a grade may make temporary or permanent additions to that grade, as it may deem necessary from time to time subject to any general or special order that may be issued.

6. **Appointments to Cadre posts.—**(1) All appointments to cadre posts in the Service shall be made by the Central Government in accordance with the provisions of these rules.

(2) Posts of Heads of Mission, and of Heads of Post in countries where there are no Heads of Mission may be filled by the Central Government at its discretion by appointment of members of the Service or other persons.

7. Power to abolish posts or hold posts in abeyance.—(1) The Central Government may abolish or hold in abeyance any permanent or temporary Cadre Posts.

(2) Any cadre post in a Grade may be declared by the Controlling Authority to be excluded from the cadre, if such a post is required, for the time being, to be filled by the appointment on deputation basis of persons possessing such special qualifications or experience as may be prescribed by the Controlling Authority, and on such a declaration being made, the post shall remain excluded from the cadre so long as the said declaration remains in force.

8. Appointment to Service.—All initial appointments to the Service shall be done in the following manner:-

(1) by direct recruitment to a cadre post in Junior Scale on the basis of results of an open competitive examination held by the Commission in accordance with such regulations as the Central Government may from time to time make in consultation with the Commission.

(2) by promotion based on selection to a cadre post in Senior Scale from amongst officers of Grade I of the Indian Foreign Service, Branch B who have completed not less than three years of continuous service in that grade and fulfill minimum educational qualifications prescribed for direct recruitment to the Service as prescribed by the Commission:

Provided that the total number of officers appointed to the Service by promotion from Grade I of Indian Foreign Service, Branch B may not, at any time, exceed 22.5 per cent. of posts in the cadre at Senior Scale and above but excluding one-half of the posts of Heads of Missions and Posts.

(3) The composition of the Departmental Promotion Committee for making appointments to Senior Scale of the Service in accordance with sub-rule (2) of rule 8 will be as laid down in Schedule II to these rules.

9. **Promotions.—**(1) Promotion of officers to various grades of the Service shall be made on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule II to these rules from amongst members confirmed in the Service and holding posts in the next lower grade in such manner and fulfilling such eligibility conditions, additional criteria and benchmark as laid down in Schedule III to these rules.

(2) Officers shall be considered batch-wise with all overlooked officers senior to the batch for promotion to Grade I, Grade II and Grade III of the Service. Officers empanelled for promotion could be promoted at any time during the relevant year, subject to availability of vacancies.

(3) Where the Controlling Authority is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax the additional criteria on service in India and abroad for promotion to Grades I, Grade II and Grade III of the Service and completion of mandatory training for promotion as laid down in Schedule III to these rules and in the empanelment guidelines as amended from time to time.

10. Appointment by Deputation.—(1) The Government may at any time depute a member of the Service to a post equivalent to or higher than that held by him in the Service, in any other All India Services, Central Services Group A, or an International Organisation or a foreign employer. A member of the Service so deputed shall be held against a post in the deputation reserve:

Provided that the period of deputation shall not exceed three years in the first instance although the Central Government may extend the same by further periods subject to the total period of deputation not being more than extant Government guidelines prescribed for such deputation.

(2) The Government may, if it is satisfied that no suitable member of the Service is available to fill a particular cadre post, appoint thereto for a period not exceeding three years, an officer holding analogous post in Central Government Service or All India Service and possessing desirable qualification or experience as may be prescribed by the Controlling Authority. A person so appointed shall be held against a cadre post held in abeyance as provided in rule 7:

Provided that if the Central Government is still satisfied that no suitable member of the Service is available at the end of the above period they may extend the appointment by one year at a time for total period of up to seven years.

11. Seniority.—(1) The relative seniority of members of the Service, appointed to any Grade, on commencement of these rules, shall be the relative seniority in their respective grades as determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any member of the Service has not been determined before the date of commencement of these rules, the same shall be determined by the controlling authority in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the controlling authority from time to time.

(2) The year of allotment of an officer recruited to the Service on the results of an open competitive examination held by the Commission, shall be the year, following the year in which the said examination was held.

(3) The inter-se seniority of officers recruited to the Service in accordance with sub-rule (1) of rule 8 shall be in accordance with the merit list compiled by the Ministry, based on the examination conducted by the Commission, and performance in foundation course and other mandatory training during probation as prescribed by the Government from time to time.

(4) The year of allotment of officers promoted to the Service in accordance with sub-rule (2) of rule 8, shall be assigned as follows:-

(i) One corresponding to three years prior to the year in which the officer is appointed against a substantive post in the Senior Scale of the Indian Foreign Service;

(ii) A weightage of one year for every completed three years of service beyond the minimum three years of continuous service in Grade I of Indian Foreign Service, Branch B shall be given. For the purpose of calculation of weightage under this sub-rule, fractions if any shall be ignored:

Provided that the year of allotment so assigned shall not be earlier than eight years preceding the year of actual promotion to Senior Scale of the Service:

Provided further that an officer promoted from Grade I of Indian Foreign Service, Branch B shall not be assigned a year of allotment earlier than the year of allotment assigned to an officer senior to him in that Select List or appointed to the Service on the basis of an earlier Select List.

(5) Between direct recruits appointed to the Service on the basis of competitive examinations conducted by the Commission in accordance with sub-rule (1) of rule 8 and officers promoted to the Senior Scale in the manner as laid down in sub-rule (2) and rule 8, inter-se seniority shall depend on the year of allotment assigned to them and where the year of allotment is the same, direct recruits shall be senior.

12. Probation and Confirmation.—(1) Every officer on appointment to the Service, either by direct recruitment to Junior Scale under sub-rule (1) of rule 8 or by promotion to Senior Scale under sub-Rule (2) of rule 8 shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such course of training and pass such examinations, and tests as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of probation. No officer appointed to the Service shall be eligible for confirmation in the Service unless he has to the satisfaction of the Central Government, passed the prescribed examination or test in the Compulsory Foreign Language allotted to him:

Provided that as regards other matters relating to probation, the members of the Service will be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

13. Disqualification.—(1) No person shall be appointed to the Service unless he is a citizen of India.

(2) No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having his spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub-rule.

14. Power to Relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Interpretation.—If any question arises relating to interpretation of these rules, it shall be decided by the Government.

16. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically weaker Section (EWS) Persons with Disability, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE I

[Sub-rule (3) of rule 5]

(Grades, Level in the Pay Matrix and number of posts included in the Service)

S. No.	Grade/Classification of Service	Level in the Pay Matrix	Strength*
1.	Grade I	Level 17 (Rs. 225000)	33
2.	Grade II	Level 15 (Rs.182200-224100)	46
3.	Grade III	Level 14 (Rs.144200-218200)	176
4.	Grade IV	Level 13 (Rs. 123100-215900)	210
5.	Junior Administrative Grade	Level 12 (Rs. 78800-209200)	375
6.	Senior Scale	Level 11 (Rs.67700-208700)	
7.	Junior Scale	Level 10 (Rs. 56100-177500)	35
8.	Deputation Reserve		19
9.	Leave Reserve		15
10.	Training Reserve		7
11.	Probationary Reserve		62
12.	Total		978

***Subject to variation dependent on workload**

SCHEDULE II

[See sub-rule (1) of rule 9]

Composition of Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee for considering promotion and confirmation into various grades of the Indian Foreign Service

S. No.	Post/Level in the Pay Matrix	Composition of the Departmental Promotion Committee	Composition of the Departmental Confirmation Committee
1.	**Grade I** **Level 17 in the Pay Matrix (Rs. 225000)**	Foreign Secretary: Chairman All Secretaries in Ministry of External Affairs: Members Secretary in Department of Personnel and Training: Member	Not Applicable
2.	**Grade II** **Level 15 in the Pay Matrix (Rs.182200-224100)**	Foreign Secretary: Chairman All Secretaries in Ministry of External Affairs: Members Secretary in Department of Personnel and Training: Member	Not Applicable
3.	**Grade III** **Level 14 in the Pay Matrix (Rs.144200-218200)**	Foreign Secretary: Chairman All Secretaries in Ministry of External Affairs: Members Secretary in Department of Personnel and Training: Member	Not Applicable

4.	**Grade IV** **Level 13 in the Pay Matrix** **(Rs. 123100-215900)**	Foreign Secretary: Chairman All Secretaries in the Ministry of External Affairs: Members	Not Applicable
5.	**Junior Administrative Grade** **Level 12 in the Pay Matrix** **(Rs. 78800-209200)**	Foreign Secretary: Chairman All Secretaries in the Ministry of External Affairs: Members	Not Applicable
6.	**Senior Scale** **Level 11 in the Pay Matrix** **(Rs. 67700-208700)**	(1) For promotion of officers appointed to Service in accordance with sub-rule (1) of rule 8 to Senior Scale, composition of Departmental Promotion Committee shall be as following: Foreign Secretary : Chairman All Secretaries in Ministry of External Affairs: Members (2) For promotion of officers from Grade I of Indian Foreign Service, Branch B to Senior Scale of Service in accordance with sub-rule (2) of rule 8, composition of Departmental Promotion Committee shall be as following: Foreign Secretary or a Secretary nominated by him/her: Chairman Additional Secretary (Administration): Member Joint Secretary (Administration): Member	Departmental Confirmation Committee for officers appointed to Senior Scale of the Service in accordance with sub-rule (2) of rule 8 shall be as following: Foreign Secretary : Chairman All Secretaries in Ministry of External Affairs: Members
7.	**Junior Scale** **Level 10 in the pay matrix** **(Rs. 56100-177500)**	Not applicable	Departmental Confirmation Committee for officers appointed to Junior Scale of the Service in accordance with sub-rule (1) of rule 8 shall be as following: Foreign Secretary : Chairman All Secretaries in Ministry of External Affairs: Members

SCHEDULE III

[See sub-rules (1) and (3) of rule 9]

(Method of recruitment, minimum qualifying service and other eligibility criteria for promotion into various grades of the Indian Foreign Service)

S. No.	Name of Post and Pay Scale	Method of recruitment	Eligibility condition for promotion	Additional requirements for promotion and Benchmark
1.	**Grade I** **Level 17 in the Pay Matrix** **(Rs. 225000)**	Promotion by Selection	Officers will be eligible on completion of thirty years of qualifying service in the Indian Foreign Service subject to a minimum of two years of regular service in	(1) Service in India and abroad as prescribed by the Ministry of External Affairs from time to time. (2) The Annual Performance

			Grade II, failing which 9 years of combined regular service in Grade II and Grade III with at least one year of regular service in Grade II and a total of thirty years of qualifying service in the Indian Foreign Service.	Appraisal Report benchmark for promotion will be as per the empanelment guidelines issued by the Ministry as amended from time to time.
2.	**Grade II** **Level 15 in the Pay Matrix** **(Rs.182200-224100)**	Promotion by Selection	Officers will be eligible on completion of twenty-five years of qualifying service in the Indian Foreign Service subject to a minimum of two years of regular service in Grade III.	(1) Service in India and Missions/Posts abroad as prescribed by the Ministry of External Affairs from time to time. (2) Successful completion of such mandatory training as may be prescribed by the Ministry of External Affairs from time to time; (3) The Annual Performance Appraisal Report benchmark for promotion will be as per the empanelment guidelines issued by the Ministry as amended from time to time.
3.	**Grade III** **Level 14 in the Pay Matrix** **(Rs.144200-218200)**	Promotion by Selection	Officers will be eligible on completion of seventeen years of qualifying service in the Indian Foreign Service subject to a minimum of two years of regular service in Grade IV.	(1) Service in India and Missions/Posts abroad as may be prescribed by Ministry of External Affairs from time to time; (2) Successful completion of such mandatory training as may be prescribed by Ministry of External Affairs from time to time; (3) The Annual Performance Appraisal Report benchmark for promotion will be as per the empanelment guidelines issued by the Ministry as amended from time to time.
4.	**Grade IV** **Level 13 in the Pay Matrix**	Promotion by Selection	Officers will be eligible on	(1) Successful completion of such

	(Rs. 123100-215900)		completion of thirteen years of qualifying service in the Indian Foreign Service. Provided that such appointments shall not be made before the 1st day of January of the year in which a member of the Service completes thirteen years of qualifying service in the Indian Foreign Service.	mandatory training as may be prescribed by the Ministry of External Affairs.
5.	**Junior Administrative Grade** **Level 12 in the Pay Matrix** **(Rs. 78800-209200)**	Appointment by placement in the grade on non – selection basis	Officers will be eligible on completion of nine years of qualifying service in the Indian Foreign Service. This grade is non-functional and shall be admissible to all officers from the 1st January of the relevant year provided that all officers have been confirmed in Service.	Not Applicable
6.	**Senior Scale** **Level 11 in the Pay Matrix** **(Rs. 67700-208700)**	**(1) For Direct recruits appointed in accordance with sub-rule (1) of rule 8:** **Promotion by Selection**	(1) Officers appointed to the service on the basis of sub-rule (1) of rule 8 will be eligible on completion of four years of qualifying service in the Indian Foreign Service. Provided that officers will be eligible on confirmation in service and that such appointments shall not be made before the 1st day of January of the year in which a member of the Service completes four years of qualifying service in the Indian Foreign Service.	
		(2) For promotees appointed in accordance with sub-rule (2) of rule 8:	(2) Promotion of Grade I of Indian Foreign Service, Branch B into Senior Scale of Indian Foreign Service shall	For promotees appointed in accordance with sub-rule (2) of rule 8: Annual

		Promotion by Selection	be in accordance with sub-rule (2) of rule 8	Performance Appraisal Report benchmark for promotion shall be 'VERY GOOD' in Annual Performance Appraisal Reports of five years being considered for the promotion.
7.	**Junior Time Scale Level 10 in the Pay Matrix (Rs. 56100-177500)**	Direct recruitment	Not applicable	Not Applicable

Note 1: (1) For officers appointed to the Indian Foreign Service through direct recruitment on the basis of competitive examination conducted by Union Public Service Commission, qualifying service for promotion shall commence from the 1st January of the year following the year of the examination on the basis of which an officer is appointed to the Indian Foreign Service.

(2) For officers appointed to the Indian Foreign Service on the basis of promotion from Grade I of Indian Foreign Service, Branch B in accordance with sub-rule (2) of rule 8 qualifying service shall commence from 1st January of the Year of Allotment assigned on the basis of sub-rule (4) of rule 11:

Provided that for the officers already appointed to the Indian Foreign Service on the date of commencement of these rules, qualifying service for promotion shall include continuous service in the posts of Grade I of Indian Foreign Service Branch 'B' and Indian Foreign Service following 1st January of the Year of Allotment and it shall not include such period of service rendered in posts below Grade I of Indian Foreign Service, Branch B.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or qualifying service, or for two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

[F. No. Q/PA-II/791/1/2018]

G. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy. (Admn.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.04.28 18:44:39 +05'30'